

फर्द अहकाम

(नियम 13)

निर्णित

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत तहसीलदार, सिणधरी

SCMS  
2020/00035  
21-01-2021

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

रावताराम, जोगाराम पिंकेसराराम  
कौम जाट निं पनोनी चतरवासीकी  
ढाणी

निंबलकोट

किस्म मुकदमा - राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91  
सन्

मु.न. 32/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25-9-2020	पटवारी हल्का निंबलकोट ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2020 में मौजा पनोनी चतरवासीकी के खसरा संख्या 233 रकबा 0.5 बीघा किस्म भूमि राज. भू. चतरवासी पर नाजायज अतिक्रमण कर कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 09-10-2020 को बमुकाम सिणधरी पेश हो।	
9-10-2020	पत्रावली भाग पेश हुई और साफल्य उपलब्ध। और साफल्य के जवाब देते भवेल्ट डिग्न जाकर पत्रावली दिनांक 19-10-2020 को पेश है।	

तहसीलदार सिणधरी  
जिला-बाड़मेर

तहसीलदार सिणधरी  
जिला-बाड़मेर

रावताराम  
9/10/2020

19-10-2020

पत्रावली आठ पेश हुई। गैर सामल अनुपाष्टि।

गैर सामल को जवाब देते अवतर दिना  
जाकर पत्रावली दिनांक 22-10-2020 को पेश दी।

तहसीलदार सिणधरी  
जिला-बाड़मेर

22-10-2020

पत्रावली आठ पेश हुई। गैर सामल  
अनुपाष्टि। गैर सामल को अधिकारी  
मामने हुए पत्रावली फेलत सुपाट हो।  
निर्णय आकर है पिछा जाकर शीर्षक  
पत्रावली है। निर्णय सुके आयालय के  
सुनाया गया। पत्रावली फेलत सुपाट  
होकर डाखिक इफतर है।

तहसीलदार सिणधरी  
जिला-बाड़मेर